

प्रेषक,

कृपा शंकर शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक:: 22अगस्त, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के लिये प्राविधानित धनराशि की विभागीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-57/एक-4/बजट अनुमान /आबकारी/2017-18 दिनांक 10.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8 /2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित प्राविधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आबकारी विभाग के लिये अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क,2059-लोक निर्माण कार्य,2216-आवास एवं 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संगत लेखा शीर्षकों में स्वीकृत लेखा अनुदान के अधीन कुल प्राविधानित धनराशि ₹0 2,02,77,19,000.00 (रूपये दो अरब दो करोड. सतहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) (मतदेय) तथा ₹0 20,00,000 (रूपये बीस लाख) (भारित) में से शासनादेश दिनांक 10 अप्रैल 2017 के द्वारा पाँच माह हेतु निर्गत की गयी धनराशि ₹0 79,98,57,000.00 (मतदेय) एवं ₹0 8,33,000.00 की धनराशि (भारित) को घटाते हुए अवशेष धनराशि ₹0 1,22,78,62,000.00 (रूपये एक अरब बाइस करोड. अठहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) (मतदेय) तथा ₹0 11,67,000.00 (रूपये ग्यारह लाख सरसठ हजार मात्र) (भारित) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या-001 आबकारी विभाग			
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रूपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
2039-राज्य उत्पाद शुल्क	001-निदेशन और प्रशासन		
03-अधीक्षण			
01-वेतन	2721.63	1134.01	1587.62
03-महंगा भत्ता	163.30	56.70	106.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

04-यात्रा भत्ता	14.00	5.83	8.17
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	2.50	3.50
06-अन्य भत्ते	105.00	43.75	61.25
07-मानदेय	0.00	0.00	0.00
08-कार्यालय व्यय	65.00	27.08	37.92
09-विद्युत देय	20.00	8.33	11.67
10-जलकल/जल प्रभार	20.00	8.33	11.67
11-लेखन सामाग्री एवं फार्मों की छपाई	30.00	12.50	17.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00	8.33	11.67
13-टेलीफोन पर व्यय	60.00	25.00	35.00
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	38.00	15.83	22.17
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	100.00	41.67	58.33
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	25.00	10.42	14.58
17- किराया उप शुल्क और कर-स्वामित्व	21.00	8.75	12.25
18- प्रकाशन	2.00	0.83	1.17
19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	100.00	41.67	58.33
23- गुप्त सेवा व्यय	5.00	2.08	2.92
26-मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	0.00	0.00	0.00
39-औषधि तथा रसायन	3.00	1.25	1.75
42-अन्य व्यय	0.50	0.21	0.29
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8.00	3.33	4.67
45-अवकाश यात्रा भत्ता	0.50	0.21	0.29
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	3.00	1.25	1.75
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00	10.42	14.58
49- चिकित्सा व्यय	18.00	12.50	5.50
51- वर्दी व्यय	26.50	11.04	15.46
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	164.14	0.00	164.14
	3764.57	1493.82	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

योग-03			2270.75
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रूपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन और प्रशासन			
04-जिला कार्यकारी अधिष्ठान			
08- कार्यालय व्यय	12.00	5.00	7.00
19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	130.00	54.17	75.83
42-अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00
भारित	20.00	8.33	11.67
मतदेय योग-04	142.00	59.17	82.83
भारित योग-04	20.00	8.33	11.67
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रूपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन और प्रशासन			
05- भट्ठियाँ			
01- वेतन	13387.13	5577.97	7809.16
03- महंगाई भत्ता	803.23	278.90	524.33
04- यात्रा व्यय	12.00	5.00	7.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20.00	8.33	11.67
06- अन्य भत्ते	520.00	216.67	303.33
08- कार्यालय व्यय	83.00	34.58	48.42

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

09- विद्युत देय	6.00	2.50	3.50
10- जलकर/जल प्रभार	4.00	1.67	2.33
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	4.17	5.83
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	4.17	5.83
13- टेलीफोन पर व्यय	10.00	4.17	5.83
15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	500.00	208.33	291.67
42- अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	2.08	2.92
45- अवकाश यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
49- चिकित्सा व्यय	60.00	41.67	18.33
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	807.39	0.00	807.39
योग-05	16239.75	6391.04	9848.71
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रुपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
2039-राज्य उत्पाद शुल्क 001-निदेशन और प्रशासन			
06- कम्प्यूटरीकरण एवं आनलाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना			
26-मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	0.00	0.00	0.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	10.00	4.17	5.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	16.00	6.67	9.33
योग-06	26.00	10.84	15.16
001-निदेशान तथा प्रशासन मतदेय योग-			
	20172.32	7954.87	12217.45
मतदेय योग-2039	20172.32	7954.87	12217.45
भारित योग-2039	20.00	8.33	11.67
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रुपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
2059-लोक निर्माण कार्य 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 03-अनावसीय भवन की मरम्मत व रख-रखाव			
29- अनुरक्षण	25.00	10.42	14.58
योग-2059	25.00	10.42	14.58
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रुपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
2216-आवास 01-सरकारी रिहायसी भवन 700-अन्य आवास 03-आबकारी विभाग के आवासीय भवन की मरम्मत			
29-अनुरक्षण	10.00	4.17	5.83
योग-2216	10.00	4.17	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			5.83
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रुपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01- कार्यालय भवन 051-निर्माण			
24- वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00
09-जनपद गोरखपुर में कार्यालय भवन का निर्माण	19.87	8.28	11.59
25-लघु निर्माण कार्य	50.00	20.83	29.17
योग-4059	69.87	29.11	40.76
राजस्व व्यय (धनराशि लाख रुपये में)			
लेखा शीर्षक/उप मद	आय-व्ययक प्राविधान (2017-18)	5 माह हेतु लेखानुदान	अवशेष अवधि हेतु
अनुदान सं0-01			
राजस्व लेखा			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क			
001-निदेशन तथा प्रशासन मतदेय	20172.32	7954.87	12217.45
भारित	20.00	8.33	11.67
2059-लोक निर्माण कार्य	25.00	10.42	14.58
2216-आवास	10.00	4.17	5.83
योग-राजस्व लेखा मतदेय	20207.32	7969.46	12237.86
भारित	20.00	8.33	11.67
पूंजी लेखा			

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	69.87	29.11	40.76
योग-पूँजी लेखा	69.87	29.11	40.76
सम्पूर्ण योग	20277.19	7998.57	12278.62
भारित	20.00	8.33	11.67

(रु0 1,22,78,62,000.00 (एक अरब बाइस करोड. अठहत्तर लाख बासठ हजार मात्र) (मतदेय) तथा रु0 11,67,000.00 (भारित) (रूपये ग्याहर लाख सरसठ हजार मात्र) निवर्तन पर रखी जा रही उक्त मदवार धनराशियों को व्यय करने में वित्त आय-व्ययक अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-8 /2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4. यदि किसी व्यय के लिये शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

5. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवण्टित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)

उप सचिव।

संख्या-13/2017/1454/ ई-1/तेरह-2017-18/2017 तदिदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक कोषागार 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
8. गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी, (बजट) आबकारी अनुभाग-1.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।